"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2017 — आश्विन 5, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

अधिसूचना

सं0 27/2017-राज्य कर(दर)

क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच(129). – छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 1/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(69), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 2.5% में,-

(i) क्रम संख्या 11, 13, 25, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के समक्ष स्तंभ (3) में "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सख्या 29 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

"29 (क)	0802	अखरोट, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं";

(iii) क्रम सख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

"33 (क)	0813	इमली, शुष्कित" ;

(iv) क्रम सख्या 100 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"100 क	2106	भुना हुआ चना" ;

(v) क्रम सख्या 105 में, स्तंभ (3) में, ब्रैकेट्स और शब्द, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न] ", का लोप किया जायेगा;

(vi) क्रम सख्या 106 में, स्तंभ (3) में, ब्रैकेट्स और शब्दों में, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न] ", का लोप किया जायेगा;

(vii) क्रम सख्या 107 में, स्तंभ (3) में, शब्दों " जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न" के स्थान पर "कपास के बीज के तेल केक के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(viii) क्रम सख्या 185 में, कॉलम (3) में प्रविष्टि "अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप सांभर्नी", को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ix) क्रम सख्या 198 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"198 क	4601, 4602	घास, पत्ती या रीड या फाइबर उत्पादों, मट्स, पाउच, पर्स सहित" ;

(x) क्रम सख्या 200 में, स्तंभ (3) में, शब्द "पतंग" के स्थान पर "पतंग, पेपर मैशे वस्तुएं" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(xi) क्रम सख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"201 क	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स" ;

(xii) क्रम सख्या 219 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"219 क	5801	कॉरडरॉय कपड़े
219 ख	5808	साड़ी फाल" ;

(xiii) क्रम सख्या 257 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

"257 क	9404	रूई वाली रजाइयां जिनका प्रति नग बिक्रय मूल्य 1000 रूपये से अधिक न हो" ;

(xiv) क्रम सख्या 259 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

"259 क	9601	कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो" ;

(xv) क्रम सख्या 260 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी,:-

"260	9603 [9603 10 00 से भिन्न]	ब्रूमस्टिक्स [उन झाड़ूओं के अलावा जो कि शीकों या अन्य वनस्पति सामग्रियों को बांधकर बनायी गई हो, चाहे इसमें हत्थे लगे हो या नहीं] " ;

(xvi) क्रम सख्या 263 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

"263 क	कोई भी अध्याय	माला, या प्रार्थना से संबंधित मनकों या हवन समग्री" ;

(ख) अनुसूची II-6% में, -

(i) क्रम सख्या 15 में, स्तंभ (3) में, शब्द, "अखरोट", का लोप किया जायेगा;

(ii) क्रम सख्या 17 में, स्तंभ (3) में, शब्दों "अध्याय 8 के सूखे फल", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, " अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]", प्रतिस्थापित किया जाएगा; "

(iii) क्रम सख्या 45 में, स्तंभ (3) में, शब्दों "संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी) और दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी ", के स्थान पर शब्द, और ब्रैकेट, " संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी), दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी, और बैटर जिसमें इडली/डोसा बैटर शामिल है ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सख्या 46 में, स्तंभ (3) में, शब्दों "उपभोग के लिए तैयार वैसी ही खाद्य निर्मितियां ", के स्थान पर शब्द, और ब्रैकेट, " उपभोग के लिए तैयार (भुना हुआ चना के अलावा)",को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) (v) क्रम संख्या 49 के स्तंभ (3)में शब्दों ""जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(ग) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(घ) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम सख्या 73 में, स्तंभ (3) में, शब्दों "अगरबत्ती, ", के स्थान पर शब्द, " अगरबत्ती, लोबान, धूप बत्ती, धूप, संब्रानी ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम सख्या 85 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"85 क	4016	रबर बैंड" ;

(viii) क्रम सख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"92 क	44, 68, 83	लकड़ी, धातु और पत्थर की मूर्तियां, [संगमरमर सहित] [कीमती धातुओं से बने के अलावा] ";" ;

(ix) क्रम सख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, :-

"99 क	4419	लकड़ी के टेबलवेयर और बरतन" ;

(x) क्रम संख्या 128 में, कॉलम (3) में, "वैसे ही हक के दस्तावेज", के स्थान पर, "वैसे ही हक के दस्तावेज [ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के अलावा]" शब्दों, और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "व्यूतित रुआ, फेब्रिक और शनील फेब्रिक कॉरडरॉय कपड़े के अलावा, शीर्ष सं. 5802 या शीर्ष सं. 5806 से भिन्न", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 154 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "ब्रेड नग में, अंलीकृत झालरें,बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं [साड़ी फॉल के अलावा]", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम सख्या 171 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

"171 (क)	6501	कपड़ा टोपी" ;

(xiv) क्रम संख्या 176 में, कॉलम (3) में, "बलुआ प्रस्तर ईंट", के बाद, "या पत्थर जटित कार्य" शब्दों, को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम सख्या 176 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएंगा,:-

"176 (क)	6802	मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान" ;

(xvi) क्रम सख्या 177 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

"177 (क)	6909	चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
177 (ख)	6911	पार्सिलेन या चाइना के खाने-पीना के वर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं
177 (ग)	6912	चीनी मिट्टी के खाने-पीने के वर्तन, रसोई के वर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं, उनके भिन्न जो पार्सिलेन या चाइना की हैं [मिट्टी के घड़े और मृतिका क्ले से भिन्न]
177 (घ)	6913	प्रतिमाएं और अन्य अलंकारी चीनी मिट्टी की वस्तुएं ";

(xvii) क्रम सख्या 189 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

"189 (क)	8306	आधार धातु की घंटियां, घंटे और वैसी ही वस्तुएं, जो विद्युत की नहीं हैं ; आधार धातु की लधु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम ; आधार धातु के दर्पण धातु विदरीवेयर ";

(xviii) क्रम सख्या 195 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

"195 (क)	8424	स्प्रिंकलर या बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोजल";

(xix) क्रम सख्या 224 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

"224 (क)	9404	रुई के रजाई जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक हो";

(xx) क्रम सख्या 231 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

"231 (क)	9601	कर्मित हाथी दांत, अस्थि, कच्छापकवच, श्रृंग, श्रृंगा, मुक्ता सीप और अन्य प्राणी .नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं , कोरल की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत संचन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं)";

(ग) अनुसूची III - 9%

(i) क्रम संख्या 23 में कालम (3) में शब्दों और कोष्ठक ''मधुमेह खाना (नमकीन'' शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर ''मधुमेह खाना, कस्टर्ड पाउडर (बटर्स जिसमें इडली/डोसा बैटर शामिल है, नमकीन'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) क्रम संख्या 111 में कालम (3) में शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल'' के स्थान पर शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारण योग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) क्रम संख्या 123 के बाद तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"123क 4016 धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स";

(iv) क्रम संख्या 140 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा ।;

(v) क्रम संख्या 157 में कालम (3) में शब्दों 'ब्रेल पेपर" के स्थान पर शब्दों 'ब्रेल पेपर, पतगें, पेपर मैशे की वस्तुएं" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(vi) क्रम संख्या 172 में कालम (3) में शब्दों 'फेल्ट के " के स्थान पर शब्दों और कोष्ठक 'फेल्ट के(टेक्सटाइल कैप के अलावा)," प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(vii) क्रम संख्याओं 186 और 187 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्याओं 304 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 235 में कालम (3) में शब्दों 'अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं" के स्थान पर शब्दों 'अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं तथा बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) यंत्र के लिए या स्प्रिंकलर के लिए नोजल " प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(x) क्रम संख्या 384 में कालम (3) में शब्दों और अंकों के स्थान पर '17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" के स्थान पर शब्दों और अंकों '20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" प्रतिस्थापित किया जाएगा

(xi) क्रम संख्या 438 में कालम (3) की प्रविष्टि के लिए "कायर गद्दे, रुई के तकिये और गद्दे " प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(xii) क्रम संख्या 449 के पश्चात तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"449क 9613 किचन गैस लाइटर्स";

(घ) अनुसूची IV - 14%

(i) क्रम संख्या 9 कॉलम (3), शब्द "कस्टर्ड पाउडर" का लोप किया जाएगा ।

(ii) क्रम संख्या 45 में कालम (3) में शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल" के स्थान पर शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारण योग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iv) क्रम संख्या 49 में कालम (3) में शब्दों 'इरेजर के अलावा" शब्दों के स्थान पर 'इरेजर रबरबैंड, धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स के अलावा" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 70 में कालम (3) में शब्दों " अन्य कर्मित प्रस्तर का" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर " अन्य कर्मित प्रस्तर का [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान]" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(v) क्रम संख्या 85 शब्दों " चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है" का लोप किया जाएगा ।

(vi) क्रम संख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

(vii) क्रम संख्या 154, कॉलम (3) शब्दों और अंकों '17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" के स्थान पर शब्दों और अंकों '20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 219 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

(ix) क्रम संख्या 222, कालम (3) शब्दों " फिलंट और बत्ती से भिन्न" के स्थान पर शब्दों और कोष्ठक "(फिलंट और बत्ती से भिन्न या किचन गैस लाइटर) "प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ड़) अनुसूची V - 1.5%

क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) में शब्दों "अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलितया निघर्ष रुपित से भिन्न" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित से भिन्न" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(च) अनुसूची V I - 0.125%

क्रम संख्या 1 में कॉलम (3)की प्रविष्टि के स्थान पर औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित" प्रतिस्थापित किया जाएगा स्पष्टीकरण, खंड (ii) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ii) (क) वाक्यांश "ब्रांड नाम" का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1 999 के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1 9 57 (1 9 57 का 14) के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड

(ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंध को डाला जाएगा, अर्थात् :-

"अनुबंध

किसी ब्रांड नाम पर कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो,जिसे पर ब्रांड नेम छपा हो, क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण(ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कंटैनरों में ऐसे माल की पैकिग करा रहा हो ,जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कंटैनर पर मुद्रित स्प्ष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22-09-2017 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच(129). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच (129), दिनांक 25-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 25th September 2017

NOTIFICATION
No. 27/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 75/2017/CT/V (129)- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council,hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 1/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (69), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-
In the said notification,-

(A) in Schedule I-2.5%,-

(i) against serial numbers 11, 13, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 and 59, in column (3), for the words "put up in unit container and bearing a registered brand name", the words, brackets and letters "put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as in the ANNEXURE]", shall be substituted;

(ii) after S. No. 29 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"29A	0802	Walnuts, whether or not shelled" ;

(iii) after S. No. 33 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"33A	0813	Tamarind, dried" ;

(iv) after S. No. 100 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"100A	2106	Roasted Gram" ;

(v) in S. No. 105, in column (3), the brackets and words, "[other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]", shall be omitted;

(vi) in S. No. 106, in column (3), the brackets and words, "[other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]", shall be omitted;

(vii) in S. No. 107, in column (3), for the words, "other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake", the words "other than cotton seed oil cake", shall be substituted;

(viii) in S. No. 185, for the entry in column (3), the entry "Agarbatti, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani", shall be substituted;

(ix) after S. No. 198 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"198A	4601, 4602	Grass, leaf or reed or fibre products, including mats, pouches, wallets";

(x) in S. No. 200, in column (3), for the word "kites", the words "Kites, Paper mache articles",shall be substituted;

(xi) after S. No. 201 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"201A	4907	Duty Credit Scrips" ;

(xii) after S. No. 219 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

"219A	5801	Corduroy fabrics
219B	5808	Saree fall" ;

(xiii) after S. No. 257 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"257A	9404	Cotton quilts of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece" ;

(xiv) after S. No. 259 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"259A	9601	Worked corals other than articles of coral" ;

(xv) for S. No. 260 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"260	9603 [other than 9603 10 00]	Broomsticks[other than brooms consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles]" ;

(xvi) after S. No. 263 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"263A	Any chapter	Rosaries, prayer beads or Hawan samagri" ;

(B) in Schedule II-6%,-

(i) in S. No. 15, in column (3), the word "walnuts," , shall be omitted;

(ii) in S. No. 17, in column (3), for the words and figure "dried fruits of Chapter 8", the words, figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8 [other than tamarind, dried]", shall be substituted;

(iii) in S. No. 45, in column (3), for the words and brackets, "Texturised vegetable proteins (soya bari) and Bari made of pulses including mungodi", the words and brackets, "Texturised vegetable proteins (soya bari), Bari made of pulses including mungodi and batters, including idli / dosa batter", shall be substituted;

(iv) in S. No. 46, in column (3), for the words "ready for consumption form", the words and brackets, "ready for consumption form(other than roasted gram), shall be substituted;

(v) in S. No. 49, in column (3), for the words "put up in unit container and bearing a registered brand name", the words, brackets and letters "put up in unit container and, -

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]", shall be substituted;

(vi) in S. No. 73, in column (3) , for the word "agarbattis", the words, "agarbattis, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani", shall be substituted;

(vii) after S. No. 85 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"85A	4016	Rubber bands" ;

(viii) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"92A	44, 68, 83	Idols of wood, stone [including marble] and metals [other than those made of precious metals]";

(ix) after S. No. 99 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"99A	4419	Tableware and Kitchenware of wood" ;

(x) in S. No. 128, in column (3) , for the words "similar documents of title", the words and brackets, "similar documents of title[other than Duty Credit Scrips]", shall be substituted;

(xi) in S. No. 147, for the entry in column (3) ,the entry "Woven pile fabrics and chenille fabrics except Corduroy fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806", shall be substituted;

(xii) in S. No. 154, for the entry in column (3) ,the entry "Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles[other than saree fall]", shall be substituted;

(xiii) after S. No. 171 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"171A	6501	Textile caps " ;

(xiv) in S. No. 176, in column (3), after the words "Sand lime bricks" the words "orStone inlay work" shall be inserted;

(xv) after S. No. 176 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"176A	6802	Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone";

(xvi) after S.No. 177 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely :-

"177A	6909	Pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance and packing of goods of ceramic
177B	6911	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
177C	6912	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china
177D	6913	Statues and other ornamental articles";

(xvii) after S.No. 189 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"189A	8306	Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; metal bidriware";

(xviii) after S. No. 195 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"195A	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers" ;

(xix) after S. No. 224 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"224A	9404	Cotton quilts of sale value exceeding Rs. 1000 per piece" ;

(xx) after S. No. 231 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"231A	9601	Worked ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, mother of pearl, and other animal carving material and articles of these materials, articles of coral (including articles obtained by moulding)";

(C) in Schedule III-9%,-

(i) in S. No. 23, in column (3), for the words and bracket"Diabetic foods;[other than Namkeens", the words and bracket, "Diabetic foods, Custard powder;[other than batters including idli/dosa batter, Namkeens", shall be substituted;

(ii) in S. No. 111, in column (3), for the words "Plastic Tarpaulin", the words, "Plastic Tarpaulin, Medical grade sterile disposable gloves, Plastic raincoats", shall be substituted;

(iii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"123A	4016	Rice rubber rolls for paddy de-husking machine" ;

(iv) S. No. 140 and the entries thereof shall be omitted;

(v) in S. No. 157, in column (3), for the words "Braille paper", the words "Braille paper, kites, Paper mache articles" shall be substituted;

(vi) in S. No. 172, in column (3), for the words, "of felt", the words and brackets, "of felt [other than textile caps]", shall be substituted;

(vii) S. Nos. 186 and 187 and the entries thereof shall be omitted;

(viii) S. No. 304 and entries thereof shall be omitted;

(ix) in S. No. 325, in column (3), for the words "other than fire extinguishers, whether or not charged", the words, "other than fire extinguishers, whether or not charged and Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers" shall be substituted;

(x) in S. No. 384, in column (3), for the words and figures, "Computer monitors not exceeding 17 inches", the words and figures, "Computer monitors not exceeding 20 inches", shall be substituted;

(xi) in S. No. 438, for the entry in column (3), the entry, "Coir mattresses, cotton pillows and mattresses", shall be substituted;

(xii) after S. No. 449 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"449A	9613	Kitchen gas lighters" ;

(D) in Schedule-IV-14%,-

(i) in S. No. 9, in column (3), the words " , Custard powder" shall be omitted;

(ii) in S. No. 45, in column (3), for the words, " plastic tarpaulins", the words "plastic tarpaulins, medical grade sterile disposable gloves, plastic raincoats", shall be substituted;

(iii) in S. No. 49, in column (3), for the words, "other than erasers", the words, "other than erasers, rubber bands, rice rubber rolls for paddy de-husking machine", shall be substituted;

(iv) in S. No. 70, in column (3), for the words, " of Other calcareous stone", the words and brackets, "of Other calcareous stone [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage; other ornamental goods essentially of stone]", shall be substituted;

(v) in S. No. 85, the words, " ;ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods", shall be omitted;

(vi) S. No. 87 and the entries thereof shall be omitted;

(vii) in S.No. 154, in column (3), for the words and figures, "other than computer monitors not exceeding 17 inches", the words and figures, "other than computer monitors not exceeding 20 inches", shall be substituted;

(viii) S. No. 219 and entries thereof shall be omitted;

(ix) in S. No. 222, in column (3), for the words, "other than flints and wicks", the brackets and words, "[other than flints, wicks or Kitchen gas lighters]", shall be substituted;

(E) in Schedule-V-1.5%,-

in S.No. 2, in column (3), for the words, "other than Non-Industrial Unworked or simply sawn, cleaved or bruted", the words, "other than industrial or non-industrial, unworked or simply sawn, cleaved or bruted, including unsorted diamonds", shall be substituted;

(F) in Schedule-VI-0.125%,-

in S. No. 1, for the entry in column (3), the entry, "Diamonds, industrial or non-industrial, unworked or simply sawn, cleaved or bruted, including unsorted diamonds", shall be substituted;

(G) in the Explanation, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

"(ii) (a) The phrase "brand name" means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

(b) The phrase "registered brand name" means,-

(A) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999. irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on the 15th May2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957;

(C) a brand registered as on the 15th May2017 under any law for the time being in force in any other country.";

(H) after paragraph 2, the following Annexure shall be inserted, namely : -

"ANNEXURE

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

(a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional commissioner of state tax that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand nameas defined in Explanation (ii)(a); and

(b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a) printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 22-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

अधिसूचना

सं0 28/2017 - राज्य कर(दर)

क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच(130). - छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 2/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(70), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सूची में,-

(i) (i) क्रम संख्या 27, 29, 45, 65,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 101, और 108 के स्तंभ (3)में "जो यूनिट कंटेनर मेंरखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं0 102 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "2301,2302,2308,2309", प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) क्रम सख्या 102 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"102क	2306	कॉटन सीड आयल केक" ;

(iv) क्रम सख्या 130 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,अर्थात्:-

"130क	50 से 55	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) एवं केवीआईसी द्वारा प्रमाणित संस्थानों/दुकानों, के द्वारा बेचे गए खादी वस्त्र";

(v) क्रम सख्या 135 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"135क	6913	मिट्टी से बनी मूर्तियां" ;

(vi) क्रम संख्या 138 में, कॉलम(3) की प्रविष्टि में, "हाथ से धागा कताई के चरखे, अम्बर चरखा सहित", प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(vii) क्रम संख्या 143 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , "अनुबंध।। में उल्लिखित स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र",कोप्रतिस्थापित किया जायेगा;

(viii) क्रम संख्या 144 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "सरकंडे से मोड़े, फूलझाडू या झाडू, जोकि सीकों या अन्य वनस्पतियों से बने हों, इकटठे बांधे गए हों, जिनमें हत्थे लगे हों या नहीं ",को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) स्पष्टीकरण,खंड (ii) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ii) (क) वाक्यांश "ब्रांड नाम" का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1 999 के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड

(ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंधकों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुबंध ।

किसी ब्रांड नाम परकार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो,जिसे पर ब्रांड नेम छपा हो, क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण(ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कंटैनरों में ऐसे माल की पैकिग करा रहा हो ,जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कंटैनर पर मुद्रित स्प्ष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है ।

अनुबंध II

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची	
1.	बुलबुल तरंग
2.	दोतार, दोतोरा या दोतारा
3.	एकतारा
4.	गटचू वाद्य या झालारी
5.	गोपीचंद या गोपीयंत्र या खामक

6.	गोत्तुधम या चित्राविना
7.	काथो
8.	सरोद
9.	सितार
10.	सुरबहार
11.	सुरसिंगार
12.	सुराबात
13.	स्वरमंडल
14.	तंबूरा
15.	तुंबी
16.	तुनतुना
17.	मगाधी वीणा
18.	हंसवा वीणा
19.	मोहन वीणा
20.	नकुल वीणा
21.	नन्दुनी
22.	रूद्रा वीणा
23.	सरस्वती वीणा
24.	विचित्रा वीणा
25.	येज
26.	रंजन वीणा
27.	त्रिवेणी वीणा
28.	चिकारा
29.	दिलरूबा
30.	एकतारा वायलीन
31.	इसराज
32.	कमायिचा
33.	मयरी वीणा या टाउस
34.	ओनाविलू
35.	बहेला (वाइलिन टाइप)
36.	पीना और बाना
37.	पलुवनवीना-एक तार वाले वायलिन
38.	रावनाहाथा
39.	लोक सारंगी
40.	शास्त्रीय सारंगी
41.	सारींडा
42.	तार शहनाई
43.	गीथू या झल्लारी
44.	गब्बूबा या जामुकु-पर्क्यूशन स्टिंग इंस्टूमेंट
45.	पुल्लुवन्तकुतम
46.	संतूर-हम्माई कॉर्ड वॉक्स

47.	पेपा
48.	पुगी या बीन
49.	भारतीय हारमोनियम डबल रीड
50.	खुजाल
51.	नाडास्वरम
52.	शहनाई
53.	सुंदरी
54.	तंगमुरी
55.	अल्गोजा डबल बांसुरी
56.	बांसुरी
57.	वेणु (क्रर्नाटिक बांसुरी) पुलंगाझल
58.	मसक
59.	तिती
60	सिश्रुतूपंगा
61.	गोगोना
62.	मोर्सिंग
63.	श्रुति बॉक्स
64.	हारमोनियम हाथ से पंप
65.	इकालम
66.	करनाल
67.	रामसिंगा
68.	काहल
69.	नागफनी
70.	तूरी
71.	डाड
72.	डामरू
73.	डिमाडी
74.	ढोल
75.	ढोलक
76.	ढोलकी
77.	दुग्गी
78.	घाटिंगहारी या गदसिंगारी
79.	घुमोट
80.	घुमेटा
81.	कंजीरा
82.	खोल
83.	कंपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84.	माडली
85.	माराम
86.	मिजहवु
87.	मृंदगम

88.	पंखावज
89.	पखवाजोज़री - सिख के टबल के समान साधन
90.	पंजामुखावाद्यम
91.	पुंग
92.	शुधमदलम या मददलम्
93.	तबला / टेबल / चैमली - गॉलेट ड्रम
94.	तबला
95.	तलबतरंग - तालाओं का समूह
96.	तामुट
97.	थानुथीपानई
98.	थिमुला
99.	तंबाकू, तंबकनारी, तंबकनेर
100.	डफ, डफ, डीएएफ या डूफडीमडी या डिम्री-जिंगल के बिना छोटा फ्रेम ड्रम
101.	कांजीरा - एक जिंगल के साथ छोटा फ्रेम ड्रम
102.	कांची - जिंगल के बिना छोटा
103.	पट्यनितप्पा - हाथों से खेला जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104.	चेन्दा
105.	ढोलु
106.	धक
107.	ढोल
108.	ढोली
109.	इडाका
110.	थाविल
111.	उडुकईi
112.	चंडे
113.	नागारा - केटस्लेड्रम्स की जोड़ी
114.	पम्बाई - दो बेलनाकार ड्रम की इकाई
115.	पैरातिप्पु, हल्गी - फ्रेम ड्रम दो स्टिक्स के साथ खेला
116.	संबल
117.	स्टिक डफ या स्टिक डफ - लाठी के साथ खेला जाने वाला स्टैंड में डेफ
118.	तमक
119.	ताशा - केटस्लेड्रम का प्रकार
120.	उर्मि
121.	जलातरंग चिम्पत्ता - पीतल के जिंगल के साथ आग टोंग
122.	चेंगिल - धातु डिस्क
123.	इलाथलम
124.	गेजर - ब्रास पोत
125.	घटक और मटकाम (मिट्टी के बरतन बर्तन ड्रम)
126.	घुंघरू
126.	खारट या चिप्पला
128.	मनजीरा या झंज या ताल

129.	अखरोट - मिट्टी के बर्तन
130.	संकरजांग - लिथोफोन
131.	थाली - धातु प्लेट
132.	थाकुकाजामनाई
132.	कंचारांग, कांच के एक प्रकार
134.	कथाततरंग, एक प्रकार का जेलोफ़ोन

2. यह अधिसूचना दिनांक 22-09-2017 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच(130). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच(130), दिनांक 25-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 25th September 2017

NOTIFICATION
No. 28/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 75/2017/CT/V (130). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of theChhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 2/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (70), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

(i) against serial numbers 27, 29, 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 101 and 108, in column (3), for the words "other than put up in unit container and bearing a registered brand name", the words, brackets and letters "other than put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]", shall be substituted;

(ii) in S. No. 102, for the entries in column (2) ,the entries "2301,2302,2308,2309", shall be substituted;

(iii) after S. No. 102 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"102A	2306	Cotton seed oil cake" ;

(iv) after S. No. 130 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"130A	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission(KVIC) and KVIC certified institutions/outlets" ;

(v) after S. No. 135 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"135A	69	Idols made of clay" ;

(vi) in S. No. 138, for the entry in column (3) ,the entry "Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha", shall be substituted;

(vii) in S. No. 143, for the entry in column (3), the entry "Indigenous handmade musical instruments as listed in ANNEXURE II", shall be substituted;

(viii) in S. No. 144, for the entry in column (3) ,the entry "Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles", shall be substituted;

(B) in the Explanation, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

"(ii) (a) The phrase "brand name" means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

(b) The phrase "registered brand name" means,-

(A) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on the 15th May2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(C) a brand registered as on the 15th May2017 under any law for the time being in force in any other country.";

(C) after paragraph 2, the following Annexures shall be inserted, namely : -

"ANNEXURE I

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

(a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional commissioner of State tax that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and

(b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a) printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.

ANNEXURE II

List of indigenous handmade musical instruments	
1.	Bulbul Tarang
2.	Dotar, Dotora, or Dotara
3.	Ektara
4.	GetchuVadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyantra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar
12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	MagadiVeena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena
20.	NakulaVeena
21.	Nanduni
22.	RudraVeena
23.	SaraswatiVeena
24.	VichitraVeena
25.	Yazh
26.	RanjanVeena
27.	TriveniVeena
28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	MayuriVina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala(violin type)
36.	Pena or Bana
37.	Pulluvanveena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk sarangi
40.	Classical sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45.	Pulluvankutam
46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal
51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari
54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal

58.	Mashak
59.	Titti
60.	Srutiupanga
61.	Gogona
62.	Morsing
63.	Shruti box
64.	Harmonium (hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad
72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghatsinghari or gadasingari
79.	Ghumot
80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhopar (tribal drums)
84.	Maddale
85	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavajjori - Sikh instrument similar to tabla
90.	Panchamukhavadyam
91.	Pung
92.	Shuddhamadalam or Maddalam
93.	Tabala / tabl / chameli - goblet drum
94.	Tabla
95.	Tablatarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	ThanthiPanai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or dufDimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle
102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayanithappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu
106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums

114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Paraithappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak'
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urumee
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam
124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplya
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhimannai
133.	Kanchtarang, a type of glass harp
134.	Kashthatarang, a type of xylophone.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 22-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

अधिसूचना

संο 28/2017 - राज्य कर(दर)

क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच(131). - छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 7) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 5/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(73), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्ट में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"6A	5801	कॉरडरॉय कपड़े".

2. यह अधिसूचना दिनांक 22-09-2017 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच(131). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-75/2017/वाक/पांच (131), दिनांक 25-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 25th September 2017

NOTIFICATION
No. 29/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 75/2017/CT/V (131). - In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of theChhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of theState Government, in the Commercial Tax Department, No. 5/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (73), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely :-

"6A	5801	Corduroy fabrics.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 22-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.